	वकील श्री शैतानसिंह ने इकबालिया [illegible] पेश किया है। प्रतिवादी 1,2 की तलबी हेतु दिनांक 9/11/21 को पेश हो।
9/11/2021	पगावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प भादवा में पेश हुई। प्रतिवादी 1,2 ने जबाब पेश किया तथा वादी के वाद को स्वीकार किया है। वादी ने यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम भादवा के ख.नं. 586 रकबा 0.2950 हैक्टयर भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज है। जिसमें घर पर बचपन में प्यार से बोल चाल की भाषा का नाम धन्नाराम पुत्र पेमाराम दर्ज कर दिया जबकि वादी के अन्य सभी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक व मतदाता पहचान पत्र व स्कूल के समस्त दस्तावेजों में नाम उगमाराम पुत्र पेमाराम दर्ज है जिससे वादी को कृषि भूमि के बदले कोई अनुदान या अन्य किसी भी सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नही हो रहा है

ना ही वादी अपनी भूमि का सुधार कर उपयोग-उपभोग कर पा रहा है। जिससे वादी ने वाद पेश कर ग्राम भादवा के ख.नं. 586 रकबा 0.2950 हैक्टयर भूमि में दर्ज धन्नाराम पुत्र पेमाराम के स्थान पर उगमाराम पुत्र पेमाराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वादी के सहखातेदार व परिवार के सदस्य जो प्रतिवादी 3 से 5 ने इकबालिया जबाब पेश कर वादी के वाद को सही होना स्वीकार किया है तथा स्पष्ट बताया है कि वादी को बचपन में धन्ना नाम से पुकारते है जिसके कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम धन्नाराम दर्ज हो गया। जबकि वादी का सही नाम उगमाराम ही है ग्राम में वादी को उगमाराम नाम से ही पुकारते है और जानते है प्रतिवादी 1, 2 ने भी जबाब में इसी प्रकार का उल्लेख किया है। सरपंच ग्राम पंचायत भादवा से जारी प्रमाण-पत्र की प्रति पेश की है जिसमें ग्राम पंचायत भादवा ने अंकित किया है कि ग्राम में उगमाराम पुत्र पेमाराम, धन्नाराम पुत्र पेमाराम दोनों नाम का एक ही व्यक्ति वादी है और अन्य इस नाम का कोई नहीं है। वादी ने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता पहचान पत्र, आदि की प्रतियां पेश की है जिसमें वादी का नाम उगमाराम पुत्र पेमाराम है। जिससे वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत: वादी का वाद प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प भादवा में लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम भादवा के ख० न० 586 रकबा 0.2950 हैक्टयर भूमि में दर्ज धन्नाराम पुत्र पेमाराम के स्थान पर उगमाराम पुत्र पेमाराम घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। यह आदेश आज शिविर में मजमें आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)